भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2126
दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं

2126. श्री मारगनी भरत:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रदान की गई सामान्य बुनियादी सुविधाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में उपरोक्त उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत, आवंटित, जारी और व्यय की गई है;

(ग) उक्त सुविधाओं ने आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विपणन और बिक्री को बढ़ाने में किस हद तक मदद की है; और

(घ) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में एफपीआई द्वारा उत्पादित खाद्य प्रसंस्करण वस्तुओं की कोई ब्रांडिंग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की दो उप-योजनाएं यथा-कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) सृजन योजना और मेगा फूड पार्क (एमएफपी) योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाओं जैसे- गोदाम**,** साइलो**,** कोल्ड स्टोरेज**,** राइपनिंग चैंबर**,** इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग (आईक्यूएफ), अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी)**,** सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) आदि की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती हैं।

आंध्र प्रदेश में अनुमोदित एमएफपी और एपीसी परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है

वर्ष	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	**योजना**	**अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)**	**अनुमोदित अनुदान (करोड़ रुपए में)**	**जारी अनुदान (करोड़ रुपए में)**	**परिरक्षण क्षमता (मीट्रिक टन्स)**	**परिरक्षण क्षमता (मीट्रिक टन्स)**
2014-15	01	एमएफपी	112.94	50.00	9.15*	28512	87600
2021-22	01	एपीसी	28.74	5.879	-	12250	40200
2022-23	03	एपीसी	93.83	29.31	-	59600	65700
कुल	**05**		**235.51**	**85.189**	**9.15**	**100362**	**193500**

*** वर्ष 2019-20 में 4.20 करोड़ रुपये + वर्ष 2021-22 में 0.94 करोड़ रुपये + वर्ष 2022-23 में 4.01 करोड़ रुपये**

(ग): अनुमोदित परियोजनाओं से जुड़ी सुविधाओं की स्थापना से उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की सीमा को व्यापक बनाने के अलावा नुकसान को कम करने और उत्पादकों की आय बढ़ाने में मदद करने के अलावा अधिशेष फसलों के परिरक्षण और प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि होती है।

(घ): एमओएफपीआई, केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के प्रावधानों के तहत, एफपीओ/ एसएचजी / सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन सहायता के लिए 50% तक अनुदान सहायता प्रदान करता है। आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए, पीएमएफएमई स्कीम के ब्रांडिंग और विपणन घटक के अंतर्गत दो ब्रांड नामत "मदुगुला हलवा" और "आमोदम" अनुमोदित किए गए हैं।

*****